NOTICE – GENERAL

(No. Ref REG./GEN/01/ 08 July 2020)

उ०प्र० शासन की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेत आवश्यक सूचना (सत्र 2020–21)

(अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु)

Important Information regarding Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement (2020-21)

(For SC/ST, OBC, GEN, and Minority Students)

सत्र 2020–21 हेतु उ०प्र० शासन द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement) को प्राप्त करने हेतु दिनांक 01 अगस्त 2020 से आरम्भ हो रही है। इस प्रकिया में आनलाइन आवेदन करते समय सर्वप्रथम छात्र के आधार कार्ड का डाटा मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से होगा। इस डाटा के पूर्ण मिलान के उपरान्त ही छात्र/छात्राऐं, छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन कर सकेंगें। अतः आप सभी छात्र/छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वह निम्न कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर लें–

1. छात्र–छात्रायें अपने आधर कार्ड में दिये गये व्यक्तिगत विवरण का मिलान हाईस्कूल प्रमाण पत्र से कर लें। यदि गलत हैं, तो सही कराये।
2. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नही है वह तत्काल बनवाये अन्यथा की स्थिति में छात्र छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह जायेगें। जिस के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें।
3. छात्र–छात्रायें अपने बैक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराये क्योकि लिंक/सीडेट बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित होगी।
4. सभी छात्र–छात्रायें अपने एक मोबाइल नम्बर को आधार से अवश्य ही लिंक करा लें क्योकि आवेदन करते समय आधार नम्बर में लिंक मोबाइल नम्बर पर ही ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त ही आवेदन पत्र आनलाइन सबमिट हो पायेगा।

उपरोक्त निर्देश जिलाधिकारी के पत्रांक सी–1827/स0क0/लेखा/2020–21 दिनांक 29 जून 2020 एवम् निदेशक, समाज कल्याण के पत्रांक सी–346/स0क0/शिक्षा–अ/3/96/2020–21 दिनांक 17 जून 2020 के द्वारा दिये गये है।

आज्ञा से,

(डा0 सतीश चन्द)

कुलसचिव 08/07/2020